इलियास V/S अली मोहम्मद

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 108/13 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. इलियास पुत्र अली मौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम सिरोलीखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट वादी

बनाम

1 अली मौहम्मद पुत्र हुरमत जाति मेव निवासी ग्राम सिरमोलीखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर

:---- रेस्पो0 प्रतिवादी

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखंड अधिकारी, तिजारा

दिनांक 25.10.2013

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश यादव

2. वकील रेस्पो0 :– श्री महेन्द्र सिंह यादव

निर्णय दिनांक - 29.07.19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

इश्तियाक V/S अली मोहम्मद

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/171/2008 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2013 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 672, 682, 677, 678, 679, 680, 681, 684, 699 वाके ग्राम पिपलाना तथा खसरा नम्बर 406, 746, 747, 748 वाके ग्राम अमीरनगर तहसील तिजारा दादालाई की भूमि है । जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही अधिकार है । परन्तु अप्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन हो गया और गलत अंकन की आड में वो आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी दादालाई की भूमि है, जो हमारे पडदादा दलेल के देहान्त के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी को प्राप्त हुई । अप्रार्थी प्रार्थी का पिता है । जो परिवार कर्ता है । उसके नाम भूमि दर्ज हो गई । जबकि जन्म से ही उक्त दादालाई की भूमि में प्रार्थी का हक है । अप्रार्थी गलत अंकन की आड में आराजी खुर्द बुर्द करना चाहता है । तहत न्यायालय ने धारा 212 के तीनों बिन्दू वादी के पक्ष में साबित होना नहीं माना है, जबकि ये तीनों बिन्दू प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी के पक्ष में साबित है । वादी प्रतिवादी का पुत्र है । प्रतिवादी के दो पत्नियां मकसूदन व कंवरबी है । प्रतिवादी की प्रथम पत्नि मकसूदन से मिन वादी का जन्म हुआ है तथा वादी के स्व0 दलले पडदादा है । प्रतिवादी अपनी दूसरी पत्नी कंवरबी व उसकी औलादों के बहकावे में आया हुआ है और आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहता है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि दादालाई की नहीं है । उक्त आराजी रेस्पो0 की स्वअर्जित है । रेस्पो0 ने कीमत जमा करा कर सनद संख्या 670 द्वारा उक्त आराजी प्राप्त की है । 2017 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 803 में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अभिनिर्धारित किया है कि मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति की धारणा नहीं है । इसी प्रकार का मत ए0आई0आर0 1982 पटना पेज 89 में भी अभिनिर्धारित किया गया है । अपीलांट का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विवादित आराजी में किस पक्षकार का कितना टाईटल बनता है, यह बिन्दू तो मूल वाद में तय होना है । हम यहां धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र की अपील का निस्तारण कर रहे हैं । जिसके लिये धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तीन अहम बिन्दूओं प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा नापूर्तिजनक क्षति को देखना होता है ।

प्रथम दृष्टतया मामला

प्रार्थी अपीलांट ने जो इन्तकाल संख्या 70 प्रस्तुत किया है, उससे जाहिर है कि ग्राम सिरोलीखुर्द की आराजी अप्रार्थी रेस्पो0 को अपने पिता से प्राप्त हुई है । इसके अलावा ग्राम पिपलाना तथा अमीरनगर की आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थी अपीलांट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह जाहिर हो सके कि इन ग्रामों की विवादित आराजी दादालाई की रही हो । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत बयनामो से यह जाहिर है कि ग्राम पिपलाना की आराजी रेस्पो0 अलीमौहम्मद व उसकी पत्नी कंवरबी द्वारा खरीद की गई है । इन सब तथ्यों से सिद्ध है कि विवादित भूमि दादालाई की भूमि नहीं है । इसके अलावा विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा जो नजीरें ए0आई0आर0 1982 पटना पेज 89 तथा 2017 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 803 में अभिनिर्धारित किया गया है कि मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति की अवधारणा नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के रोशनी एवं नजीरों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी अपीलांट का प्राइमाफेसी केस सिद्ध नहीं होता है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

इब्तियाज V/S. अलीमोहम्मद

सुविधा का सन्तुलन

जैसा कि उपर विवेचित किया जा चुका है कि ग्राम अमीरनगर व पिपलाना की विवादित आराजी पैत्रिक सिद्ध नहीं है अर्थात प्राइमाफेसी केस सिद्ध नहीं है तो फिर सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में सिद्ध नहीं है ।

नापूर्तिजनक क्षति

प्रार्थी अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में कतई विफल रहा है कि ग्राम पिपलाना व अमीरनगर की आराजी दादालाई की है । अतः न तो भूमि दादालाई की सिद्ध है तथा पूर्व में लिखित नजीरों में मुस्लिम विधियों में पैतृक सम्पत्ति की अवधारणा न होने के कारण कोई नापूर्तिजनक क्षति होने की सम्भावना नहीं है ।

इस प्रकार धारा 212 के तीनों बिन्दू प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं है । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी एवं नजीरों के परिप्रेक्ष्य में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.10.2013 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner